निर्णय बईजलास करतार सिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0, अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

प्रकरण सख्या 16/17 दायरा– 13.07.17

राजस्थान सरकार जर्ये पुलिस अधीक्षक झालावाड़

सायल

बनाम

इकबाल हुसैन उर्फ बन्टी आ0 जुम्मा भाई फकीर निवासी रसूलपुरा थाना खानपुर

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :–श्री फिरोज अहमद खान वकील गैर सायल

–: आदेश :– दिनांक :–01.05.19

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी खानपुर द्वारा जर्ये पुलिस अधीक्षक झालावाड़ गैर सायल इकबाल हुसैन उर्फ बन्टी आ0 जुम्मा भाई फकीर निवासी रसूलपुरा थाना खानपुर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 3563 दिनांक 03.07.17 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरूद्व थाना खानपुर जिला झालावाड़ में निम्न मुकदमें दर्ज है :–

क0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	65/16	13 आरपीजीओ	50/– जुर्माना
2	190/16	13 आरपीजीओ	150/– जुर्माना

जिनमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गेर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरूद्व गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वचछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्ये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित हुआ गैर सायल की ओर से विद्वान वकील श्री फिरोज अहमद खान द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब पेश किया तथा मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि गैर सायल अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है, मजदूरी कर परिवार को भरण पोषण कर रहा है, इसलिये इस्तगासा खारिज फरमाकर बरी किया जावे।

मैंने विद्वान वकील गैर सायल की मौखिक बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अर्न्तगत सन्तुष्ट होकर मै गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

—: आदेश :—

इकबाल हुसैन उर्फ बन्टी आ0 जुम्मा भाई फकीर निवासी रसूलपुरा थाना खानपुर को दिनांक 02.05.19 से 10 दिन (दस दिवस) के लिए जिला झालावाड की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे वह पुलिस थाना सांगोद जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियो की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गॉजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नही होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10,000/—रू0 अक्षरे (दस हजार रूपये) के स्वंय का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.19 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

अति0जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)